रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2013/ज्येष्ठ 30, 1935
No. 301] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2013/JYAISTHA 30, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2013

सा.का.नि. 387(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग में रजिस्ट्रार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सूचना आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** :— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. रजिस्ट्रार	*1 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 4 ₹ 37,400-67,000 धन ग्रेड वेतन-₹10000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति :—

(अ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या प्राधिकरण के अधीन ऐसे अधिकारी--

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 4 `37400-67000 धन` 8900 के ग्रेड वेतन या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 4 `37400-67000 धन` 8700 के ग्रेड वेतन या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों;

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री ।

(ii) किसी न्यायालय या अधिकरण या अर्धन्यायिक प्राधिकरण में समूह 'क' पद पर कार्य का पंद्रह वर्ष का अनुभव या कार्मिक और प्रशासनिक मामलों का अनुभव या आवेदन फाइल करने संबंधी अनुभव, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, अनुदेशों की संवीक्षा और निर्वचन से संबंधित कार्य का अनुभव ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा.सं.4/11/2012-आईआर]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2013

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Registrar in the Central Information Commission, namely :—

1. **Short title and commencement**..— (1) These rules may be called the Central Information Commission; [Registrar] Recruitment Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or scale of pay**.—The number of the said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay or scale of pay attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule annexed to these rules

4. **Disqualification**.— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, after consultation with Union Public Service Commission by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes Other Backward Classes, Ex-Service personnel and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Registrar	1 (2013)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Non-Ministerial	PB-4 Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay Rs. 10,000	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age prescribed for direct recruitment will apply in the case of Promotees and those coming on deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment whether by DRs or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation, transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Not Applicable.	By deputation.	Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Supreme Court or High Court or Tribunal: (A)(I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or (II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-4, Rs.37400-67,000 plus grade pay of Rs.8,900/- or equivalent in the parent cadre or department ; or (III) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-4, Rs.37,400-67,000 plus Grade Pay of Rs.8,700 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following Educational Qualification and Experience; (I) A Degree in Law from a recognised University. (II) 15 Years work experience in a Group 'A' post in a Court or Tribunal or Quasi Judicial Authority or Experience in Personnel and Administrative matters or experience relating to filing applications, scrutiny and interpretation of rules, regulations, instructions issued by the Government from time to time. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appoint in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

			appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application **Note 2 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. 4/11/2012-IR]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2013

सा.का.नि. 388(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग में हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सूचना आयोग (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. हिंदी अनुवादक	* 2 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2 9300-34800 धन ग्रेड वेतन- 4200	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के

					लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
अनिवार्य :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो । या **(ii)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में या ऐच्छिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय रहा हो । या **(iii)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी माध्यम और अंग्रेजी या हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो; और **(iv)** हिन्दी से अंग्रेजी और विपर्ययेन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी और विपर्ययेन में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :**—संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न भाषाओं में से किसी एक भाषा में मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन स्तर का ज्ञान । **टिप्पण 1**-अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2**-अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति :— केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से— (क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1 (5200-20200 धन 2800) ग्रेड वेतन या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड - 1 (5200-20200 धन 2400) ग्रेड वेतन या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । **टिप्पण 1**—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2**—प्रतिनियुक्ति आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग	—अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग	—सदस्य	
3. उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग	—सदस्य	

[फा. सं. 4/11/2012-आईआर]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2013

G.S.R. 388(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Hindi Translator in the Central Information Commission, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Central Information Commission; [Hindi Translator] Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Scale of pay**.—The number of the said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** .—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule annexed to these rules

4. **Disqualification**.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, after consultation with Union Public Service Commission by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Service personnel and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Hindi Translator	2(2013)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Ministerial	PB-2 Rs. 9300-34,800 plus Grade Pay Rs. 4,200	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time.) **NOTE:** The crucial date of determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh. Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required	Whether age prescribed for direct recruitment will apply in the case of Promotees and those coming on deputation.	Period of Probation, if any.	Method of Recruitment whether by DRs or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Masters Degree of a recognised University or equivalent in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level OR (ii) Masters Degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level. OR (ii) Masters Degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English with English or Hindi medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or a medium of examination at degree level; and (iii) Recognised Diploma or Certificate course in Translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertakings.	Not Applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation failing which by direct recruitment

Desirable : Knowledge at the level of Matriculation of a recognised Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eight Schedule of the Constitution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/deputation, transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: From amongst Officers of Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or OR (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band 1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.2800 or equivalent in the parent cadre or Department or OR (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band 1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.2400 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing educational and other qualifications laid down in column (7) for direct recruits. **Note 1:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation):- 1. Additional Secretary, Central Information Commission - Chairman 2. Joint Secretary, Central Information Commission - Member 3. Dy. Secretary, Central Information Commission -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

applications. **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		

[F. No. 4/11/2012-IR]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2013

सा.का.नि. 389(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सूचना आयोग (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी	*1 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800 धन ग्रेड वेतन-₹ 4800	लागू नहीं होता ।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो	**अनिवार्य:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव: वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।

					असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2 :- अनुभव संबधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से--

(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ;

या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड - 2 (9300-34800 धन 4600) ग्रेड वेतन या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ;

या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड - 2 (9300-34800 धन 4200) ग्रेड वेतन या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं ।

टिप्पण 1—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2—प्रतिनियुक्ति आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग —सदस्य 3. उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग —सदस्य	सीधी भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 4/11/2012-आईआर]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2013

G.S.R. 389(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the Central Information Commission, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Information Commission; [Assistant Library and Information Officer] Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, Classification and Pay Band and Grade Pay or scale of pay.—**The number of the said post, its classification and Pay Band and Grade Pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc .—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualification.—** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule .

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, after consultation with Union Public Service Commission by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Service personnel and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Library and Information Officer	1* (2013) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'B' Non-Ministerial	PB-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4800/-	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government) **Note:** The crucial date of determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division

					of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for DRs will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any.	Method of Recruitment : Whether by DRs or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) Two years' professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research or Educational Institution. **Desirable :** (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised university (ii) Diploma in Computer Application from a Recognised University or Institution. **Note** 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not Applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation, transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: From amongst Officers of the Central Government: (A) (i) Holding analogous post on regular basis in the	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation):- 1. Additional Secretary, Central	Consultation with Union Public Service

parent cadre or department; Or (ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600) or equivalent grade in the parent cadre or Department; Or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 Rs.9300-38400 plus grade pay of Rs. 4200, and (B) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 /the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one Pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	Information Commission —Chairman 2. Joint Secretary, Central Information Commission —Member 3. Deputy Secretary, Central Information Commission —Member	Commission while making direct recruitment.

[F. No. 4/11/2012-IR]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.